मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

टावर–1 चतुर्थ तल, सिग्नेचर भवन, गोमती नगर विस्तार

संख्या–पॉच–(मुहरबन्द लिफाफा)–2025 दिनांकः सितम्बर 29 , 2025

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय, लखनऊ।
पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ।
अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

विषयः राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे के निस्तारण एवं नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ज्ञातव्य है कि राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए होने वाले चुनावों में मुहरबन्द लिफाफे की कार्यवाही एवं उनके निस्तारण की प्रकिया उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–1 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–13/21/80–का–1–1997, दिनांक 28 मई, 1997 में निम्नवत व्यवस्था की गई हैः–

(1) मुहरबन्द लिफाफा अपनाये जाने की प्रकियाः–

संस्तुतियों को मुहरबन्द लिफाफे में रखे जाने की परिस्थितियॉ

(2) उपरोक्तानुसार विचार कर चयन समिति द्वारा स्पष्ट संस्तुति की जायेगी परन्तु चयन समिति की संस्तुति को निम्नलिखित परिस्थितियों में (चाहे चयन समिति द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया गया हो या नहीं) अर्थात दोनो ही दशाओं में कार्यवृत्त में अंकित नहीं किया जायेगा वरन् ऐसे कार्मिक के सम्बन्ध में कार्यवृत्त में मात्र यह अंकित करते हुए कि चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी है, उस कार्मिक के विषय में चयन समिति की संस्तुति एक अलग शीट पर अंकित की जायेगी, जिसे मुहरबन्द लिफाफे में रखा जायेगा और लिफाफे के ऊपर अंकित कर दिया जायेगा कि इसमें अमुक कार्मिक की प्रोन्नति के विषय में चयन समिति की सिफारिश रखी गयी हैः–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है,

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है,

(3) जहॉ उपरोक्त परिस्थितियॉ विद्यमान न हो, वहां के प्रत्येक मामले में चयन समिति की संस्तुतियों के सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार, प्रोन्नति की कार्यवाही की जायेगी और जहॉ उपरोक्त परिस्थितियों के कारण चयन समिति की संस्तुतियां मुहरबन्द लिफाफे में रखी जाय, वहां मुहर बन्द लिफाफे का निस्तारण अग्रलिखित नीति के अनुसार किया जायेगा।

चयन के दिनांक के पश्चात परन्तु प्रोन्नति के आदेशों के क्रियान्वयन के पूर्व प्रारम्भ कार्यवाहियों के आधार पर प्रोन्नति रोका जाना

(11) यदि किसी कार्मिक की प्रोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा संस्तुति की जा चुकी हो, परन्तु प्रोन्नति के आदेशों के क्रियान्वयन के पूर्व खण्ड (2) में उल्लिखित कोई ऐसी बात सामने आ जाये, जो यदि चयन के समय चयन समिति के समक्ष होती तो चयन समिति की संस्तुति को मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाना आवश्यक होता, सम्बन्धित कार्मिक को प्रोन्नत नहीं किया जायेगा और ऐसी कार्यवाही के अन्तिम परिणाम प्राप्त होने पर उसके सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति को इस कार्यालय ज्ञाप में दिये गये उपबन्धों के अधीन उसी प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा, मानों उसके विषय में चयन समिति की संस्तुति को मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया हो।

मुहरबन्द लिफाफा के निस्तारण की प्रक्रियाः–

राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया का निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 के प्रस्तर–3(7) (क), (ख) में उल्लिखित निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन मुहरबन्द लिफाफे के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

मुहरबन्द लिफाफे के निस्तारण की प्रक्रिया

(7) जब सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो और उसके विरूद्ध चल रही अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण या यथा–स्थिति अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों के अन्तिम परिणाम सामने न आ जाय अर्थात उसके विरूद्ध कोई ऐसा मामला न हो जो ऊपर खण्ड (2) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) की श्रेणी में आता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए मुहर बन्द लिफाफे का निस्तारण किया जायेगाः–

पूर्णतः निर्दोष पाये जाने की दशा में

(क) आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहर बन्द लिफाफे में रखी गयी है, को यदि पूर्ण रूप से दोषमुक्त पाया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी (या यथास्थिति चयन कराने वाले विभाग के सचिव या प्रमुख सचिव जिनकी अभिरक्षा में चयन समिति का कार्यवृत्त रखा जाता है) द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और तदोपरान्त इसमें रखी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो उसे संदर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माना जायेगा और तदनुसार आदेश निर्गत किये जायेगे।

(ख) यदि माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के मामले में किसी आरोपित कार्मिक को गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस निर्णय के विरूद्ध न तो अपील की जाती है और न विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है तो ऊपर उपखण्ड (क) के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जो न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त करार दिये जाने की दशा में की जाती।

अंशतः या पूर्णतः दोषी पाये जाने की दशा में

(ग) यदि आरोपित कार्मिक के विरूद्ध मामलों की समाप्ति पर यह पाया जाता है कि उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप आंशिक या पूर्णरूप से सिद्ध हुए हैं तो उसी स्तर की चयन समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिस स्तर की चयन समिति द्वारा संदर्भगत चयन सम्पन्न किया गया था। यह चयन समिति उसके विरूद्ध चल रहे मामलों में प्राप्त अन्तिम परिणामों सहित समस्त अभिलेखों के प्रकाश में मुहर बन्द लिफाफे रखी संस्तुति पर पुनर्विचार करेगी। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में एक से अधिक लिफाफे उपलब्ध हों तो उपलब्ध लिफाफों को तब तक क्रमवार एक–एक करके खोलते हुए उन पर उपरोक्तानुसार चयन समिति द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति उसे चयन समिति द्वारा किसी चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिये संस्तुत न किया जाय अथवा समस्त उपलब्ध लिफाफे खोलकर उन पर पुनर्विचार न कर लिया जायं। यदि पुनर्विचार के परिणामस्वरूप उसे किसी पूर्व चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया जाता है तो उसे उस चयन के आधार पर उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत समझा जायेगा जिस तिथि की चयन समिति की संस्तुति पर पुनर्विचारोपरान्त उसकी प्रोन्नति का निर्णय लिया गया है व इस विषय में स्पष्ट आदेश जारी किये जायेगे।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–1(7) (क) (ख) में मुहरबन्द लिफाफे के निस्तारण के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो और उसके विरुद्ध चल रही अनुशासनिक विभागीय कार्यवाही, प्रशासनाधिकरण या यथास्थिति अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों के अन्तिम परिणाम सामने आ जाय अर्थात् उसके विरुद्ध ऐसा कोई मामला न हो जो संदर्भगत कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–1(2) के उपखण्ड (क) (ख) (ग) की श्रेणी में आता हो तो निम्नलिखित प्रक्रियानुसार मुहर बन्द लिफाफे का निस्तारण किया जायेगा :–

(1) यदि आरोपित कार्मिक, जिसके विषय में चयन समिति की संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गई है, को पूर्णरूप से दोषमुक्त पाया जाता है तो सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर समिति द्वारा लिफाफे को खोला जायेगा और उसमें रखी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर विभागाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विभागीय चयन समिति की संस्तुति के अनुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे मामले में यदि लिफाफे में रखी संस्तुति के अनुसार उसे प्रोन्नति हेतु संस्तुत किया गया हो तो संदर्भित चयन के आधार पर प्रोन्नत किये गये उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से नोशनल प्रोन्नत माना जायेगा और तद्नुसार आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(2) यदि न्यायालय द्वारा अभियोजन के मामले में किसी आरोपित कार्मिक को गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस निर्णय के विरुद्ध न तो अपील की जाती है और न विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है तो उपर्युक्त बिन्दु सं0–(1) के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी जो न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर दोषमुक्त करार दिये जाने की दशा में की जाती।

3– मुहरबन्द लिफाफों के निस्तारण के सम्बन्ध में सन्दर्भगत शासनादेश के प्रस्तर–1(7)(ग) में इस आशय का भी प्रावधान है कि यदि आरोपित कार्मिक के विरूद्ध चल रहे मामलों की समाप्ति पर यह पाया जाता है कि उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अंशतः या पूर्णतः सिद्ध हुए हैं तो ऐसे कार्मिकों के मुहरबन्द लिफाफे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ की विभागीय चयन समिति के माध्यम से खोले जायेंगे और चयन समिति द्वारा उसके विरुद्ध चल रहे मामले में प्राप्त हुए अन्तिम परिणाम सहित सम्बन्धित कार्मिक के अद्यावधिक सेवाभिलेखों के आधार पर अपनी संस्तुति दी जायेगी। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में एक से अधिक लिफाफे बन्द हो तो सभी लिफाफों को तब तक क्रमवार खोलते हुए पुनर्विचार किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति उसे चयन समिति द्वारा किसी चयन के सन्दर्भ में प्रोन्नति के लिए संस्तुत न कर दिया जाय अथवा समस्त लिफाफे खोलकर उन पर पुनर्विचार न कर लिया जाय। यदि पुनर्विचार के परिणामस्वरूप उसे किसी पूर्व चयन के संदर्भ में प्रोन्नति के लिए संस्तुत किया जाता है तो उसे उस चयन के आधार पर उसके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत समझा जायेगा जिस तिथि की चयन समिति की संस्तुति पर पुनर्विचारोपरान्त उसकी प्रोन्नति का निर्णय लिया गया है व इस विषय में स्पष्ट आदेश जारी किये जायेंगे ।

4– उपर्युक्त का आशय यह है कि नोशनल पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये कार्मिकों के पक्ष में निर्गत किये जाने वाले प्रोन्नति विषयक आदेशों में उनके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि को अंकित करते हुए उक्त तिथि से ही नोशनल पदोन्नति विषयक स्पष्ट आदेश निर्गत किये जायेंगे। नोशनल पदोन्नति के आदेश की परिस्थिति/प्रकृति निम्नलिखित दो प्रकार की हो सकती हैं:–

(1) यदि कार्मिक किसी पश्चातवर्ती चयन वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष पहले से नियमित रूप से पदोन्नत हो और सेवाभिलेखों में परिवर्तन (दण्ड आदि की समाप्ति) के कारण किसी पूर्ववर्ती चयन वर्ष के सापेक्ष पुनर्विचारोपरान्त पदोन्नति हेतु संस्तुत किया जाय तो ऐसे कार्मिक की सम्बन्धित पूर्ववर्ती चयन वर्ष में पदोन्नत किये गये उसके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा । इस प्रकार के आदेश के निर्गमन हेतु **प्रारूप–1** संलग्न है।

(2) यदि कार्मिक की पदोन्नति विषयक संस्तुति मुहरबन्द लिफाफे में रखी गयी हो और जिस कारण मुहरबन्द लिफाफा किया गया था उसमें अन्तिम निर्णय प्राप्त हो गया हो और सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो तथा ऐसे निर्णय के विरूद्ध न तो अपील की गई हो और न ही विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित हो तो कार्मिक को उसके आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल एवं तात्कालिक प्रभाव से नियमित पदोन्नति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। इस प्रकार के आदेश के निर्गमन हेतु **प्रारूप–2** संलग्न है।

5– कार्मिकों के मुहरबन्द लिफाफों के निस्तारण में संदर्भगत शासनादेश के संगत प्रावधानों का अनुपालन न होने के कारण सम्बन्धित कार्मिकों को नोशनल प्रोन्नति के बजाय तात्कालिक प्रभाव से प्रोन्नति के आदेश निर्गत किये जाने की स्थिति में उन्हें नोशनल प्रोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप उन्हें वेतन के निर्धारण एवं अर्हकारी सेवा की गणना आदि का नुकसान होता है। प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर–1(8) में नोशनल पदोन्नति की स्थिति में वेतन

के निर्धारण नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रावधानित है कि नोशनल पदोन्नति की स्थिति में वित्त विभाग की सहमति से उसी स्तर पर निर्धारित किया जायेगा जो उसे सम्बन्धित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर समय से अर्थात आसन्न कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नत होने पर मिलता।

6– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के विभिन्न अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अथवा विभागीय कार्यवाही में सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 में दी गयी व्यवस्थानुसार मुहरबन्द लिफाफे को खोलकर उपयुक्तता की स्थिति में कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति की कार्यवाही समय से नहीं किये जाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ एवं माननीय राज्य लोकसेवा अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ में रिट याचिकाएं व निर्देश याचिकाएं योजित की जा रही है। शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 में दी गयी प्रकियानुसार समयबद्ध कार्यवाही न होने से अवमाननावाद भी योजित किये जा रहे हैं, जिससे विभाग के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के प्रयोजन से सम्बन्धित कार्मिकों के मुहरबन्द लिफाफों के नियमानुसार निस्तारण किये जाने, उपयुक्तता की स्थिति में उन्हें नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही समयबद्ध रूप से किया जाना अपेक्षित है।

7– अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्तरों में वर्णित तथ्यों को अपने–अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के संज्ञान में लाते हुए शासनादेश संख्याः 13/21/89–का–1/1997 दिनांक 28–5–1997 में दी गयी व्यवस्थानुसार ही आरोपित कार्मिकों के मुहरबन्द लिफाफों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(राजीव कृष्णा)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
3– समस्त सेनानायक पी0ए0सी0 वाहिनी उत्तर प्रदेश ।
4– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त अनुभागीय पुलिस उप महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 उत्तर प्रदेश।

कार्मिक की पदोन्नति विषयक संस्तुति, जिस कारण से मुहरबन्द लिफाफा किया गया था, में अंतिम निर्णय प्राप्त गया हो और सम्बन्धित कार्मिक निलम्बित न हो तथा निर्णय के विरुद्ध न तो अपील की गई हो और न ही विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित हो तो कार्मिक को आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल एवं तात्कालिक प्रभाव से नियमित पदोन्नति विषयक आदेश का प्रारूप

प्रारूप–2

आदेश

.....

.....

.....

.....

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0.....पी0एन0ओ0.....जनपद..... को चयन वर्ष ..... की रिक्ति के सापेक्ष कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल एवं तात्कालिक प्रभाव से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त याची/मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0..... पी0एन0ओ0.....जनपद..... को चयन वर्ष ..(पूर्ववर्ती चयन वर्ष जिसके सापेक्ष मुहरबन्द लिफाफा किया गया था) की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत किये गये आसन्न कनिष्ठ ..... (कार्मिक का नाम, पदनाम, पीएनओ एवं नियुक्ति का जनपद/ईकाई) की पदोन्नति की तिथि..... से मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0 के पद पर नोशनल एवं तात्कालिक प्रभाव से नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

नियमित रुप से पदोन्नत कार्मिक की पूर्ववर्ती चयन वर्ष में पदोन्नत आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति विषयक आदेश का प्रारूप

प्रारूप–1

आदेश

.....

.....

.....

.....

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0.....पी0एन0ओ0.....जनपद..... को चयन वर्ष ..... की रिक्ति के सापेक्ष कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की संस्तुति को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त याची/मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0..... पी0एन0ओ0.....जनपद..... को चयन वर्ष .....(पूर्ववर्ती चयन वर्ष जिसके सापेक्ष मुहर बन्द लिफाफा किया गया था) की रिक्ति के सापेक्ष पदोन्नत किये गये आसन्न कनिष्ठ .... (कार्मिक का नाम, पदनाम, पीएनओ एवं नियुक्ति का जनपद/ईकाई) की पदोन्नति की तिथि..... से मुख्य आरक्षी ना0पु0/स0पु0 के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।